

सं.ए.- 32012/1/2018 -प्रशा. III

प्रशा. III अनुभाग
संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली, दिनांक- 17 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

दिनांक 26.03.2018 के इस अनुभाग के कार्यालय आदेश सं. ए-32012/1/2004-प्रशा.- III के क्रम में, निम्नलिखित स्थायी समिति के अध्यक्ष उप सचिव (प्रशासन के प्रभारी) के स्थान पर संयुक्त सचिव (प्रशासनके प्रभारी) होंगे :-

- I. विभागीय पदोन्नति समिति (वरिष्ठ सं. 2)
 - II. विभागीय पदोन्नति समिति (कनिष्ठ)
 - III. संशोधित वेतन मैट्रिक्स में लेवल 1 से 9 में आने वाले मामलों के लिए संवीक्षा समिति (एम ए सी पी)
 - IV. के. सचि. लि. से. के वरि. सचि. सहायकों (उच्च श्रेणी लिपिको) / के. सचि. आ.से. के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' को एन एफ एस जी प्रदान करने के लिए समिति
 - V. विभागीय स्थायीकरण समिति (वि.स्था.स.) - के. सचि. लि. से. के सभी ग्रुप 'ग' पदों तथा सभी संवर्ग बाह्य ग्रुप 'ग' पदों के लिए जहां विभागीय स्थायीकरण समिति की कोई विशिष्ट संरचना को भर्ती नियमों में निर्दिष्ट नहीं किया गया है
 - VI. विभागीय स्थायीकरण समिति - के सचि. आ. से. के सभी पदों के लिए
2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(संजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (प्रशा.)
संघ लोक सेवा आयोग

प्रतिलिपि अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार

फा. सं. ए.-32012/1/2004-प्रशा. III

प्रशासन III अनुभाग

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड

नई दिल्ली - 110069

दिनांक 26 मार्च, 2018

कार्यालय आदेश

उपर्युक्त विषय पर सभी पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण में, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में विभिन्न आंतरिक स्थायी समितियों की संरचना निम्नानुसार होगी:-

2. विभागीय पदोन्नति समिति :-

2.1 विभागीय पदोन्नति समिति (वरिष्ठ) सं.1

के. सचि. से. के सभी ग्रुप 'ख' पदों (सत. अनु. अधि. तथा अनु. अधि.) तथा 5400/- रू. के ग्रेड वेतन तक सभी संवर्ग बाह्य पदों (के.सि.से. (आर. पी.) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में अब संशोधित) के लिए जहां भर्ती नियमों में विभागीय पदोन्नति समिति के किसी विशिष्ट गठन को वर्णित नहीं किया गया है।

| | | |
|------|---|---------|
| I. | अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | अध्यक्ष |
| II. | संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | सदस्य |
| III. | सुश्री रूचिका गुप्ता, संयुक्त सचिव | सदस्य |
| IV. | श्री विजय सिंह, उप सचिव | सदस्य |
| V. | श्री हरप्रीत सिंह, अवर सचिव | सदस्य |

2.2 विभागीय पदोन्नति समिति (वरिष्ठ) सं.2-

के. सचि. आशु. से. के निजी सचिव एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड के लिए

| | | |
|------|---------------------------------------|---------|
| I. | उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | अध्यक्ष |
| II. | अवर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | सदस्य |
| III. | श्री हरप्रीत सिंह, अवर सचिव | सदस्य |
| IV. | सुश्री प्रेरणा शर्मा, अवर सचिव | सदस्य |

2.3 विभागीय पदोन्नति समिति (कनिष्ठ)

के. सचि. लि. से. के सभी ग्रुप 'ग' पदों तथा संवर्ग बाह्य ग्रुप 'ग' पदों के लिए जहां भर्ती नियम में वि. प. स. के किसी विशिष्ठ गठन को वर्णित नहीं किया गया है।

| | | |
|------|--|-------------|
| I. | उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | अध्यक्ष |
| II. | श्री विजय सिंह, उप सचिव | सदस्य |
| III. | अवर सचिव (संगठन पद्धति एवं कार्य अध्ययन) | सदस्य |
| IV. | सुश्री प्रेरणा शर्मा, अवर सचिव | सदस्य |
| V. | श्री सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | बाह्य सदस्य |

3. एम ए. सी. पी. के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लिए मामले पर विचार करने के लिए प्राक्चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

3.1 पी. बी.1 तथा पी बी 2 संशोधन-पूर्व वेतन बैंड (के. सि. से. (आर. पी.) नियमावली 2016 के कार्यान्वयन पर संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 से 9 में अब संशोधित) के अंतर्गत आने वाली एम ए सी पी के मामले पर विचार करने के लिए प्राक्चयन समिति

| | | |
|------|--|---------|
| I. | उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | अध्यक्ष |
| II. | श्री विजय सिंह, उप सचिव | सदस्य |
| III. | अवर सचिव (संगठन पद्धति एवं कार्य अध्ययन) | सदस्य |

3.2 पी बी-3 संशोधन-पूर्व वेतन बैंड (के. सि. से. (आर. पी.) नियमावली 2016 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10,11 तथा 12 में संशोधित) के अंतर्गत आने वाली एम. ए. सी. पी. के मामले पर विचार करने के लिए प्राक्चयन समिति

| | | |
|------|---|---------|
| I. | संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | अध्यक्ष |
| II. | संयुक्त सचिव (नियुक्ति शाखा के प्रभारी) | सदस्य |
| III. | सुश्री रुचिका गुप्ता, संयुक्त सचिव | सदस्य |

3.3 पी बी-4 संशोधन-पूर्व वेतन बैंड (के. सि. से. (आर. पी.) नियमावली 2016 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 तथा उससे उपर में संशोधित) के अंतर्गत आने वाली एम. ए. सी. पी. के मामले पर विचार करने के लिए प्राक्चयन समिति

| | | |
|------|------------------------------------|---------|
| I. | सचिव, संघ लोक सेवा आयोग | अध्यक्ष |
| II. | अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | सदस्य |
| III. | अपर सचिव (आर के जी) | सदस्य |

| | | |
|-----|--|-------|
| IV. | संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | सदस्य |
|-----|--|-------|

4. पी. बी.- 2 संशोधन-पूर्व (के. सि. से.(आर पी) नियमावली 2016 के कार्यान्वयन पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 में अब संशोधित) में 4200/- रु. ग्रेड वेतन में के. सचि. लि. से. के वरि. सचि. सहायकों / के. सचि. आ. से. के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' को एन एफ एस जी प्रदान करने के लिए समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

| | | |
|------|--|---------|
| I. | उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी) | अध्यक्ष |
| II. | श्री विजय सिंह, उप सचिव | सदस्य |
| III. | अवर सचिव (संगठन पद्धति एवं कार्य अध्ययन) | सदस्य |
| IV. | सुश्री प्रेरणा शर्मा, अवर सचिव | सदस्य |

5. के. सि. से. (पेंशन) नियमावली के एफ आर 56 तथा नियम 48 के अंतर्गत समीक्षा समिति:-
के.सि.से.(पेंशन) नियमावली के एफ आर. 56 तथा नियम 48 में समाविष्ट प्रावधानों तथा का.एवं.प्रशि.विभाग के दिनांक 21.03.2014 तथा 11.09.2015 के आगे इसकी पुनरावृत्ति के तहत सरकारी सेवा में बने रहने के लिए कर्मचारी की उपयुक्ता की आवधिक समीक्षा के लिए स्थायी समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i) सभी ग्रुप 'क' अधिकारियों के संबंध में

समिति सभी ग्रुप 'क' अधिकारियों के मामले की समीक्षा करेगी

| पदनाम | |
|--|---------|
| सचिव, संघ लोक सेवा आयोग | अध्यक्ष |
| अपर सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी | सदस्य |
| अपर सचिव, अखिल भारतीय सेवा शाखा के प्रभारी | सदस्य |
| अपर सचिव, भर्ती शाखा के प्रभारी | सदस्य |
| सुश्री रुचिका गुप्ता, संयुक्त सचिव | सदस्य |

(ii) सभी ग्रुप 'ख' (राजपत्रित) अधिकारियों के संबंध में

समिति सभी ग्रुप 'ख' (राजपत्रित) अधिकारियों के मामले की समीक्षा करेगी

| पदनाम | |
|--|---------|
| अपर सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी | अध्यक्ष |
| संयुक्त सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी | सदस्य |
| सुश्री रुचिका गुप्ता, संयुक्त सचिव | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, नियुक्ति शाखा के प्रभारी | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय सेवा शाखा के प्रभारी | सदस्य |

(iii) उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में-

(क) सभी ग्रुप 'ख' (अराजपत्रित) अधिकारी

(ख) सभी ग्रुप 'ख' अधिकारी जिनके नियोक्ता प्राधिकारी उपसचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव (प्रशासन) है।

समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

| नाम/पदनाम | |
|---------------------------------------|---------|
| संयुक्त सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी | अध्यक्ष |
| उपसचिव (नियुक्ति समन्वय) | सदस्य |
| श्री विजय सिंह, उप सचिव | सदस्य |
| सुश्री पुष्पा जार्ज , उप सचिव | सदस्य |
| श्री हरप्रीत सिंह, अवर सचिव | सदस्य |

6. के.सि.से. के सभी ग्रुप 'ख' पद तथा 5400/-रू. के ग्रेड वेतन तक सभी संवर्ग बाह्य पद (के.सि.से.(आर.पी) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में अब संशोधित) के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति (वि.स्था.स.) जहां भर्ती नियम में विभागीय स्थायीकरण समिति की किसी विशिष्ट संरचना को वर्णित नहीं किया गया है, का गठन वि.पदो. समिति (वरिष्ठ सं.1)के समान होगी । इसी प्रकार के.सचि.लि.सेवा के सभी ग्रुप 'ग' पद तथा संवर्ग बाह्य ग्रुप ग के सभी पद जहां भर्ती नियम में वि.स्था.स. की किसी विशिष्ट संरचना को वर्णित नहीं किया गया है, की संरचना वि.पदो.स. (कनिष्ठ) के समान होगी। के.सचि.आशु. सेवा के पदों के संबंध में वि.स्था.स. वि.पदो.स. (वरिष्ठ सं. 2) के समान होगी ।

(संजय कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (प्रशा.)

संघ लोक सेवा आयोग

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय का कार्यालय / सचिव कार्यालय ।
2. अपर सचिव (आर सी जे) / अपर सचिव (आर के जी) / अपर सचिव (आर के एस) / अपर सचिव (डी के) का कार्यालय।
3. सभी समिति अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यालय ।
4. श्री सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली
5. प्रशा.।/।।/कार्यालय आदेश फाइल।

6. वेब सेल, सं.लो.से.आ.। सं.लो.से.आ. की विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए (वेब सेल द्वारा निर्धारित फार्मेट में) ।